अनुबंध 2

उदाहरण: वित्तीय वर्ष के दौरान एबीसी बैंक विभिन्न केंद्रों में शाखाएं खोलता है। विभिन्न टीयरों में शाखाओं के लिए पात्रता उदाहरण कुछ सांकेतिक परिदृश्यों के अंतर्गत दिए गए हैं।

टियर 1 केंद्रों में प्रोत्साहन सहित शाखाओं की पात्रता के लिए गणना

क्रम सं.	ब्यौरा	शाखाओं की संख्या	टिप्पणी
(i) (क)	टियर 1 से टियर 6 केंद्रों में खोलने के लिए प्रस्तावित शाखाओं की संख्या (प्रोत्साहन के रूप में दी गयी शाखाओं को छोड़कर)	200	
(ख)	बैंक सुविधा रहित ग्रामीण केंद्रों में अनिवार्य रूप से खोली जाने वाली शाखाओं की न्यूनतम संख्या	50	वित्तीय वर्ष के दौरान खोली गयी शाखाओं की कुल संख्या के कम से कम 25 प्रतिशत शाखाएं [नीचे पैरा (iii) में बताए गए अनुसार प्रोत्साहन के रूप में टियर 1 केंद्रों की शाखाओं के लिए दी गई पात्रता को छोड़कर] अर्थात 200 का 25%=50 शाखाएं बैंक सुविधा रहित ग्रामीण केंद्रों में अनिवार्य रूप से खोली जानी चाहिए।
(ग)	200 शाखाओं में से टियर 2 से टियर 6 केंद्रों में और पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम में खोली जाने के लिए अपेक्षित शाखाओं की न्यूनतम संख्या	100	वर्ष के दौरान खोली गयी शाखाओं में से कम से कम 50 प्रतिशत शाखाएं टियर 2 से 6 केंद्रों में तथा पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम में खोली जानी चाहिए।
(घ)	200 शाखाओं में से टियर 1 केंद्रों में खोली जा सकने वाली शाखाओं की अधिकतम संख्या (प्रोत्साहन के रूप में दी गयी शाखाओं को छोड़कर)	100	टियर 1 केंद्रों की शाखाएं, टियर 2 से टियर 6 केंद्रों और पूर्वोत्तर राज्यों तथा सिक्किम के सभी केंद्रों, में खोली गयी शाखाओं से अधिक नहीं हो सकतीं।
(ii)	कम बैंक सुविधा वाले राज्यों के कम बैंक सुविधा वाले जिलों के टियर 2 से टियर 6 केंद्रों में खोली गयी शाखाओं की संख्या जो बैंक सुविधा रहित ग्रामीण केंद्रों में नहीं हैं।	10	(I) (ग) का सबसेट। इन केंद्रों में शाखाएं खोलना अनिवार्य नहीं है, लेकिन इससे प्रोत्साहन के रूप में बैंक को टियर 1 केंद्रों में अतिरिक्त शाखाएं खोलने की पात्रता मिलती है।
(iii)	उपरोक्त (ii) में शाखाएं खोलने के फलस्वरूप प्रोत्साहन के रूप में टियर 1 केंद्रों में खोली जा सकने वाली शाखाओं की संख्या।	10	(ii) के बराबर
(iv)	वर्ष के दौरान टियर 1 केंद्रों में खोली जा सकने वाली शाखाओं की अधिकतम संख्या।	110 {100 [उपर्युक्त (i)(घ) के अनुसार] + 10 [प्रोत्साहन के रूप में उपर्युक्त(iii) अनुसार]}	वर्ष के दौरान ये सभी शाखाएं खोलने का बैंक के पास विकल्प है। यदि वर्तमान वर्ष के दौरान ये सभी टियर 1 शाखाएं बैंक खोल नहीं पाता, तो शेष शाखाओं को अगले 2 साल में खोला जा सकता है।

प्रथम परिदृश्य : एबीसी बैंक टियर 2 से टियर 6 केंद्रों में आवश्यक न्यूनतम से अधिक शाखाएं खोलता है

क्रम सं.	ब्यौरा	**शाखाओं की संख्या**	**टिप्पणी**
(i) (क)	टियर 1 से टियर 6 केंद्रों में खोली गयी शाखाओं की संख्या	200	
(ख)	बैंक सुविधा रहित ग्रामीण केंद्रों में खोली गयी कुल शाखाओं की संख्या	50	वित्तीय वर्ष के दौरान खोली गयी शाखाओं की कुल संख्या के कम से कम 25 प्रतिशत शाखाएं [नीचे पैरा (ii) में बताए गए अनुसार प्रोत्साहन के रूप में टियर 1 केंद्रों की शाखाओं के लिए दी गई पात्रता को छोड़कर] अर्थात 200 का 25%=50 शाखाएं बैंक सुविधा रहित ग्रामीण केंद्रों में खोली जानी चाहिए। अत: यहाँ कोई कमी नहीं है।
(ग)	200 शाखाओं में से, टियर 2 से टियर 6 केंद्रों में तथा पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम में खोली गयी शाखाओं की संख्या	120	
(घ)	200 शाखाओं में से, टियर 1 केंद्रों में खोली गयी शाखाओं की संख्या [(क) – (ग)]	80	वित्तीय वर्ष के दौरान, टियर 1 केंद्रों में खोली गयी शाखाओं की कुल संख्या [प्रोत्साहन के रूप में टियर 1 केंद्रों की शाखाओं के लिए दी गई पात्रता को छोड़कर] टियर 2 से टियर 6 केंद्रों और पूर्वोत्तर राज्यों तथा सिक्किम के सभी केंद्रों में खोली गयी शाखाओं की कुल संख्या से अधिक नहीं हो सकती।
(ii)	कम बैंक सुविधा वाले राज्यों के कम बैंक सुविधा वाले जिलों के टियर 2 से टियर 6 केंद्रों में खोली गयी शाखाओं की संख्या जो बैंक सुविधा रहित ग्रामीण केंद्रों में नहीं हैं।	10	इन शाखाओं को खोलने के फलस्वरूप प्रोत्साहन के रूप में बैंक टियर 1 केन्द्रों में 10 शाखाएं खोल सकता है।
(iii)	उपरोक्त (ii) के प्रोत्साहन सहित वर्ष के दौरान टियर 1 केंद्रों में खोली जा सकने वाली शाखाओं की संख्या।	90 (80+10)	इस संख्या से, 80 शाखाएं पहले से ही खोली जा चूकी है [मद (i) (घ)]। शेष 10 शाखाओं को अगले दो साल में खोला जा सकता है।

द्वितीय परिदृश्य: एबीसी बैंक टियर 2 से टियर 6 केंद्रों के लिए न्यूनतम अपेक्षा से कम संख्या में शाखाएं खोलता है तथा टियर 1 केंद्रों में अधिकतम अनुमत शाखाओं से अधिक संख्या में शाखाएं खोलता है।

क्रम सं.	ब्यौरा	शाखाओं की संख्या	टिप्पणी
(i) (क)	टियर 1 से टियर 6 केंद्रों में खोली गयी शाखाओं की संख्या	200	
(ख)	बैंक सुविधा रहित ग्रामीण केंद्रों में खोली गयी कुल शाखाओं की संख्या	50	वित्तीय वर्ष के दौरान खोली गयी शाखाओं की कुल संख्या के कम से कम 25 प्रतिशत शाखाएं [नीचे पैरा (ii) में बताए गए अनुसार प्रोत्साहन के रूप में टियर 1 केंद्रों की शाखाओं के लिए दी गई पात्रता को छोड़कर] अर्थात 200 का 25%=50 शाखाएं बैंक सुविधा रहित ग्रामीण केंद्रों में खोली जानी चाहिए। अत: यहाँ कोई कमी नहीं है।
(ग)	200 शाखाओं में से, टियर 2 से टियर 6 केंद्रों में तथा पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम में खोली गयी शाखाओं की संख्या	80	बैंक से अपेक्षित है कि वित्तीय वर्ष के दौरान खोली गयी शाखाओं में से कम से कम 50 प्रतिशत शाखाएं टियर 2 से टियर 6 केंद्रों, पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम में खोले । अत: यहा अपेक्षा से 20 शाखाएं कम है। [(200 का 50 प्रतिशत) - 80]
(घ)	200 शाखाओं में से, टियर 1 केंद्रों में खोली गयी शाखाओं की संख्या [(क) – (ग)]	120	चूकिं टियर 1 केंद्रों में वर्ष के दौरान खोली गयी शाखाओं की संख्या टियर 2 से टियर 6 केंद्रों, पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम में खोली गयी शाखाओं की संख्या से अधिक नहीं हो सकती, बैंक द्वारा टियर 1 केंद्रों में अधिकतम 100 शाखाएं खोली जा सकती थीं। इसके अलावा, बैंक अतिरिक्त 15 शाखाएं खोल सकता है जो उसे प्रोत्साहन तथा पिछले वर्ष में न खोली गयी शाखाओं के रूप में उपलब्ध हैं [10 शाखाएं प्रोत्साहन के रूप में (मद ii) + 5 केरीओवर शाखाएं (मद iii)]। अत: बैंक की कुल पात्रता 115 शाखाएं है। अत: बैंक नें पात्रता से 5 शाखाएं अधिक खोली है। इन 5 शाखाओं को अगले वित्तीय वर्ष की टियर 1 केंद्रों के लिए पात्रता से कम किया जाएगा।
(ii)	कम बैंक सुविधा वाले राज्यों के कम बैंक सुविधा वाले जिलों के टियर 2 से टियर 6 केंद्रों में खोली गयी शाखाओं की संख्या जो बैंक सुविधा रहित ग्रामीण केंद्रों में नहीं हैं।	10	
(iii)	टियर 1 केंद्रों में शाखाओं की केरीओवर पात्रता से पिछले वर्षों में न खोली गयी शाखाएं	5	

(iv)	टियर 2 से टियर 6 केंद्रों, पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम की शाखाओं में केरीओवर (कमी) जो अगले वर्ष खोली जानी चाहिए।	20	
(v)	टियर 1 केन्द्रों में खोली गयी अतिरिक्त शाखाएं जो अगले वित्तीय वर्ष के दौरान टियर 1 केंद्रों की पात्रता से कम की जाएगी।	5	

तृतीय परिदृश्य : एबीसी बैंक, बैंक सुविधा रहित ग्रामीण केंद्रों में न्यूनतम अपेक्षा की तुलना में अधिक शाखाएं खोलता है।

क्रम सं.	ब्यौरा	शाखाओं की संख्या	टिप्पणी
(i) (क)	टियर 1 से टियर 6 केंद्रों में खोली गयी शाखाओं की संख्या	180	
(ख)	बैंक सुविधा रहित ग्रामीण केंद्रों में खोली गयी कुल शाखाओं की संख्या	50	वित्तीय वर्ष के दौरान खोली गयी शाखाओं की कुल संख्या के कम से कम 25 प्रतिशत शाखाएं [नीचे पैरा (ii) में बताए गए अनुसार प्रोत्साहन के रूप में टियर 1 केंद्रों की शाखाओं के लिए दी गई पात्रता को छोड़कर] अर्थात 45 (180 का 25%) शाखाएं बैंक सुविधा रहित ग्रामीण केंद्रों में खोली जानी चाहिए। बैंक ने सुविधा रहित ग्रामीण केंद्रों में अधिक शाखाएँ खोली हैं।
(ग)	टियर 2 से टियर 6 केंद्रों में और पूर्वोत्तर राज्यों तथा सिक्किम में खोली गयी शाखाओं की संख्या	80	बैंक से अपेक्षित है कि वित्तीय वर्ष के दौरान खोली गयी शाखाओं में से कम से कम 50 प्रतिशत शाखाएं टियर 2 से टियर 6 केंद्रों, पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम में खोले । अत: यहां अपेक्षा से 10 शाखाएं कम है। [90(180 का 50 प्रतिशत) - 80]
(घ)	टियर 1 केंद्रों में खोली गयी शाखाओं की संख्या	100	चूकिं टियर 1 केंद्रों में वर्ष के दौरान खोली गयी शाखाओं की संख्या टियर 2 से टियर 6 केंद्रों, पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम में खोली गयी शाखाओं की संख्या से अधिक नहीं हो सकती, बैंक टियर 1 केंद्रों में 90 से अधिक शाखाएं नहीं खोल सकता है। बैंक के पास प्रोत्साहन [मद (iv)] के रूप में पिछले वर्ष की केरी फॉरवर्ड 5 शाखाएं हैं और प्रोत्साहन [मद (iii)] के रूप में 10 शाखाएं है। इस प्रकार, बैंक की पात्रता 90 + 5+10=105 है।अत: बैंक 10 प्रोत्साहन शाखाओं में से 5 शाखाएं केरी फॉरवर्ड कर सकता है जिन्हें अगले 2 साल में खोला जा सकता है।
(ii)	कम बैंक सुविधा वाले राज्यों के कम बैंक सुविधा वाले जिलों के टियर 2 से टियर 6 केंद्रों में खोली गयी शाखाओं की संख्या जो बैंक सुविधा रहित ग्रामीण केंद्रों में नहीं हैं।	10	
(iii)	उपर्युक्त (ii) पर शाखाएं खोलने के लिए प्रोत्साहन के रूप में अनुमत शाखाओं की संख्या	10	
(iv)	टियर 1 केंद्रों के शाखाओं की संख्या जो बैंक को पिछले वर्ष प्रोत्साहन के रूप मिली थी परंतु उन्हें नहीं खोला गया अर्थात् केरीओवर	5	

(v)	टियर 2 से टियर 6 केंद्रों में केरीओवर (कमी) जिन्हें अगले वर्ष में खोली जानी चाहिए।	10	
(vi)	टियर 1 केंद्रों में प्रोत्साहन के रूप में शाखाओं की केरीओवर पात्रता संख्या जो वर्ष के दौरान नहीं खोली गयी तथा अगले दो वर्षों में खोली जा सकती हैं।	5	

चतुर्थ परिदृश्य : एबीसी बैंक, बैंक सुविधा रहित ग्रामीण केंद्रों में न्यूनतम अपेक्षा से कम शाखाएं खोलता हैं।

क्रम सं.	ब्यौरा	शाखाओं की संख्या	टिप्पणी
(i) (क)	प्रोत्साहन शाखाएं तथा पिछले वर्ष की केरीडफॉरवर्ड शाखाओं सहित टियर 1 से टियर 6 केंद्रों में खोली गयी शाखाओं की संख्या।	235 [220 + 10 (प्रोत्साहन के रूप में शाखाएं) + 5 (केरी फॉरवर्ड शाखाएं)]	
(ख)	बैंक सुविधा रहित ग्रामीण केंद्रों में खोली गयी शाखाओं की कुल संख्या	50	वित्तीय वर्ष के दौरान, शाखाओं की कुल संख्या के कम से कम 25 प्रतिशत शाखाएं [प्रोत्साहन/ केरीफॉरवर्ड शाखाओं को छोड़कर] अर्थात 55 (220 का 25%) शाखाएं बैंक सुविधा रहित ग्रामीण केंद्रों में खोली जानी चाहिए। चूकिं बैंक ने बैंक सुविधा रहित ग्रामीण केंद्रों में केवल 50 शाखाएं खोली है यहां अपेक्षा से 5 शाखाएं कम हैं।
(ग)	220 शाखाओं में से टियर 2 से टियर 6 केंद्रों में तथा पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम में खोली गयी शाखाओं की संख्या	110	
(घ)	220 शाखाओं में से टियर 1 केंद्रों में खोली गयी शाखाओं की संख्या	125 (110 शाखाएं + 10 प्रोत्साहन शाखाएं + 5 केरीओवर शाखाएं)	शाखाओं की अपेक्षा में कोई कमी नहीं, कोई केरीफॉरवर्ड नहीं ।
(ii)	बैंक सुविधा रहित ग्रामीण केंद्रों में शाखाओं का केरीओवर (कमी) जिन्हे अगले वर्ष में खोलना चाहिए।	5	बैंक ने 220 शाखाएं खोली हैं, जिसका 25 प्रतिशत 55 है। अत: यहा बैंक सुविधा रहित ग्रामीण केंद्रों में 5 शाखाएं अपेक्षा से कम हैं।